

कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण (आत्मा), समस्तीपुर

आत्मा योजनान्तर्गत जिला एवं प्रखंड स्तर के विभिन्न पदों पर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु काउंसलिंग के उपरंत प्रकाशित की गई ड्राफ्ट मैरिट लिस्ट के विरुद्ध दिनांक 28.11.2023 से 05.12.2023 तक प्राप्त कुल 11 दावे / आपत्तियों का निराकरण दिनांक 15.12.2023 को आयोजित चयन समिति की बैठक में किया गया, जो निम्न प्रकार है :-

क्र० सं०	आवेदन सं०	नाम	पिता/पति का नाम	मोबाईल सं०	किये गये दावे / आपत्ति	निराकरण	अभ्युक्ति
1	BTM/0042994	मो० नईम	मो० शमीम	8271033990	मैं मो० नईम, पिता- मो० शमीम, पता-मोहल्ला बेतां बड़ी मस्जिद के पास, पोस्ट- डारुआमोसी० कैम्पस जिला- दरभंगा का निवासी हूँ। मैंने आत्मा समस्तीपुर में प्रखंड तकनीकी प्रबंधक के पद पर नियुक्ति हेतु Counselling करवाया था एवं मेरा Application Id-BTM/0042994 है। आत्मा समस्तीपुर द्वारा प्रकाशित मेधा सूची में मेरा नाम EBC Female वर्ग में क्रमांक संख्या 06 पर अंकित है। आपके द्वारा मेधा सूची में मेरे नाम के आगे वॉछित अनुभव नहीं है ऐसा लिखा गया है, जबकि मैंने दिनांक 25.04.2023 को BTM पद हेतु आवेदन किया था और 17.04.2023 को मैंने अपना 2 साल का कार्य अनुभव पुरा कर लिया है एवं मैं अभी भी आत्मा दरभंगा में स०त०प्र० के पद पर कार्यरत हूँ। मैं इस दावा आपत्ति में अपना अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करके आपके समक्ष जमा कर रहा हूँ। अतः श्रीमान से निवेदन है कि मेरे दावा/आपत्ति पर विचार करते हुए मेरे अनुभव प्रमाण पत्र को स्वीकार करने की कृपा की जाए।	विभागीय अनुदेश के आलोक में आवेदन के समय वॉछित 02 वर्ष का कार्यअनुभव नहीं रहने के कारण किये गये दावे/आपत्ति को अस्वीकृत किया जाता है।	
2	ATM/0010571	शिवांगी सिम्पी			मेरा नाम शिवांगी सिम्पी है। महोदय, मैं EBC Category में आती हूँ। महोदय मैंने आवेदन भरते समय (Online) अंचल स्तरीय जाति प्रमाण पत्र अपलोड करा था। किंतु काउंसलिंग के लिए नाम आते ही मैंने अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र बनने को दिया जो मुझे 07.06.2023 को बनकर मिला। अतः काउंसलिंग में मैंने अनुमंडल स्तर से बना जाति प्रमाण पत्र जमा करा। अतः आपसे सविनय निवेदन है कि काउंसलिंग में जमा करे हुए अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र को ही प्राथमिकता दी जाए।	आवेदन के समय अनुमंडल स्तर का ई.बी.सी. कोटि का क्रिमिलेयर रहित जाति प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं किये जाने के कारण किये गये दावे/आपत्ति को अस्वीकृत किया जाता है।	





आवेदन सं०	नाम	पिता/पति का नाम	मोबाईल सं०	किये गये दावे / आपत्ति	निराकरण	अधिवृत्ति
3	अच्युत सुमन	अखिलेश कुमार ठाकुर	8210552202	मैं अच्युत सुमन, ग्राम-पोस्ट- गोरेगामा, थाना-पटोरी, जिला-समस्तीपुर, 848504 का निवासी हूँ। मैं आत्मा समस्तीपुर में प्रखंड तकनीकी प्रबंधक के पद पर नियुक्ति हेतु Counselling करवाया था एवं मेरा Application Id- BTM/0064888 है। आपके द्वारा मेधा सूची में मेरे नाम के आगे EWS प्रमाण पत्र अंचल कार्यालय से निर्गत ऐसा लिखा गया है। अतः मैं SDO Level वाला EWS प्रमाण पत्र जमा कर रहा हूँ। क्योंकि ये चिज और सब जिला में मान्य किया गया है। अतः श्रमान से निवेदन है कि मेरे दावा/आपत्ति पर विचार करते हुए मेरे SDO Level प्रमाण पत्र को स्वीकार करने की कृपा की जाए।	आवेदन के समय अनुमंडल स्तर का आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस. प्रमाण-पत्र)संलग्न नहीं किये जाने के कारण किये गये दावे/आपत्ति को अस्वीकृत किया जाता है।	
4	मणि मेधा नन्द	दीप नारायण सिंह		मैं मणि मेधा नन्द पिता- दीप नारायण सिंह, ग्राम-मिश्रालिया, पोस्ट- धोई, थाना-सदर, जिला- दरभंगा का निवासी हूँ। मैं आत्मा कार्यालय, समस्तीपुर में प्रखंड तकनीकी प्रबंधक के पद पर नियुक्ति हेतु Counselling करवाया था। मेरा Application ID BTM/0042016 है। आपके द्वारा मेधा सूची मे मेरे नाम के आगे BC जाति प्रमाण पत्र अंचल कार्यालय से निर्गत है ऐसा भवदीय द्वारा दर्शाया गया है। इसलिए मैं DM स्तर से निर्गत BC जाति प्रमाण पत्र भवदीय को समर्पित कर रहा हूँ। अतः श्रमान से नम्र निवेदन है कि मेरे द्वारा दिए दावा/आपत्ति पर विचार करते हुए मेरे DM स्तर BC प्रमाण पत्र को स्वीकार करने की कृपा की जाय।	आवेदन के समय अनुमंडल स्तर का पिछड़ा वर्ग कोटि का क्रिमिलेयर रहित जाति प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं किये जाने के कारण किये गये दावे/आपत्ति को अस्वीकृत किया जाता है।	
5	काजल कुमारी	प्रमोद कुमार राय		मैं काजल कुमारी (एटीओएम० ०००७६३०) कहना है कि मेरे द्वारा अनुमंडल कार्यालय से निर्गत क्रिमिलेयर प्रमाण पत्र जमा किया गया है जब कि ड्राफ्ट मैरिट लिस्ट मे मेरे क्रिमिलेयर प्रमाण पत्र के संबंध में अंकित किया गया है कि अंचल कार्यालय से निर्गत जमा किया गया है। अतः श्रीमान से आग्रह है कि मेरा Online Submit अभिलेख एवं Counselling के समय प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु चेक लिस्ट देखने की कृपा की जाय।	आवेदन के समय अनुमंडल स्तर का पिछड़ा वर्ग कोटि का क्रिमिलेयर रहित जाति प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं किये जाने के कारण किये गये दावे/आपत्ति को अस्वीकृत किया जाता है।	


आवेदन सं०	नाम	पिता/पति का नाम	मोबाईल सं०	किये गये दावे / आपत्ति	निराकरण	अभ्युक्ति
6	बब्लु कुमार	श्याम कान्त शर्मा		<p>My name is Bablu Kumar, and I applied for the Accountant post I am Writing to seek Clarification regarding the acceptance of experience certificates from third party employer. Have accumulated approximately 4.5 years of experience in the field of accounting while working with ICAI (The Institute of Chartered Accountants of India) through a Thirdparty Organization. The Experience Certificate I Possess is from this third party employer. Could you please confirm whether experience certificates from third party employers are considered valid for the Accountant post I have applied for? If There are specific Documents or additional information required from my end to validate this experience. kindly inform me. and will promptly provide the necessary details. appreciate your attention to this matter and look forward to your guidance on the validity of third party experience certificates for the mentioned position. have attached ICAL work experience details for your reference.</p>	<p>विभागीय अनुदेश के आलोक में इनका कार्यअनुभव सरकारी क्षेत्र का नहीं रहने के कारण किये गये दावे/आपत्ति को अस्वीकृत किया जाता है ।</p>	
7	संजना राज	रामबलि पासवान		<p>मेरा नाम संजना राज है पिता- रामबलि पासवान है। मैं SC कैटगरी से हूँ। आत्मा प्रबंधन तकनीकी हेतु आवेदन के समय मैं अनुमंडल स्तरीय जाति प्रमाण पत्र नहीं दे पाई जिसकी बजह से मुझे सामान्य कोटि में स्थान दिया गया है। अतः श्रीमान से आग्रह है की मुझे SC कोटि में रखा जाए। मैं अनुमंडल स्तरीय जाति प्रमाण पत्र संलग्न कर रही हूँ।</p>	<p>आवेदन के समय अनुमंडल स्तर का अनुसूचित जाति कोटि का जाति प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं किये जाने के कारण किये गये दावे/आपत्ति को अमान्य किया जाता है ।</p>	
8	शुभम भारती	राम बरन	7903507959	<p>मैं शुभम भारती पिता- स्व० रामवरण , वार्ड-3 लमालबाद, मुजफ्फरपुर की निवासी हूँ। मैंने आत्मा अन्तर्गत प्रखंड तकनीकी प्रबंधक पद के लिए अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (महिला, दिव्यांग) श्रेणी में आवेदन किया था, जिसमें आनलाईन आवेदन करते समय ATM/BTM/Accountant /Stonographer बहाली नोटिफिकेशन 2023 के अंतर्गत कडिका-3 के अंतर्गत आरक्षण का लाभ लेने हेतु सक्षम पदाधिकारी जो की अंचलाधिकारी भी है। इसके उपरान्त काउंसलिंग मे मैंने अंचला एवं अनुमंडल दोनो जगह से बना NCL सर्टिफिकेट जमा किया। जो की दिनांक 30.05.2023 को काउंसलिंग कराया गया था। पुनः दिनांक 04.12.2023 को अनुमंडल से बना NCL सर्टिफिकेट, आत्मा समस्तीपुर कार्यालय में जमा कर रही हूँ जो की दावा आपत्ति के रूप मे है। अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि मेरे द्वारा किए गए दावा आपत्ति पर बिचार करते हुए मुझे अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (महिला, दिव्यांग) श्रेणी में आरक्षण का लाभ देने की कृपा की जाए।</p>	<p>आवेदन के समय अनुमंडल स्तर का अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि का क्रिमिलेयर रहित जाति प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं किये जाने के कारण किये गये दावे/आपत्ति को अस्वीकृत किया जाता है ।</p>	

आवेदन सं०	नाम	पिता/पति का नाम	मोबाईल सं०	किये गये दावे / आपत्ति	निराकरण	अभियुक्ति
9	शुभम भारती	राम बरन	7903507959	<p>मैं शुभम भारती पिता- स्व० रामवरण , वार्ड-3 लमालबाद, मुजफ्फरपुर की निवासी हूँ। मैंने आत्मा अन्तर्गत प्रखंड तकनीकी प्रबंधक पद के लिए अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (महिला, दिव्यांग) श्रेणी में आवेदन किया था, जिसमें आनलाईन आवेदन करते समय ATM/BTM/Accountant /Stonographer बहाली नोटिफिकेशन 2023 के अंतर्गत कडिका-3 के अंतर्गत आरक्षण का लाभ लेने हेतु सक्षम पदाधिकारी जो की अचलाधिकारी भी है। इसके उपरान्त दिनांक 17.06.2023 को मेरी काउंसलिंग में दिव्यांग कोटी के लिए आत्मा कार्यालय, समस्तीपुर में सम्पन हुआ, जिसमें मैंने अचला एवं अनुमंडल दोनों जगह से बना NCL सर्टिफिकेट जमा किया। जो की दिनांक 30.05.2023 को काउंसलिंग कराया गया था। एवं साथ दिव्यांगता का सर्टिफिकेट भी जमा किया था पुनः आज दिनांक 04.12.2023 को अनुमंडल से बना NCL सर्टिफिकेट एवं दिव्यांगता सर्टिफिकेट , आत्मा समस्तीपुर कार्यालय में जमा कर रही हूँ। अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि कंडिका 6.1.2 के आधार पर मेरे दावा/आपत्ति पर भाव पूर्वक विचार करते हुए आरक्षण का लाभ देने की कृपा करें।</p>	<p>आवेदन के समय अनुमंडल स्तर का अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि का क्रिमिलेयर रहित जाति प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं किये जाने के कारण किये गये दावे/आपत्ति को अस्वीकृत किया जाता है।</p>	
10	आलोक कुमार देव	दया नन्द लाल देव	9122182147	<p>मैं आलोक कुमार देव, पिता- श्री दया नन्द लाल देव, महोदय दिनांक 29-30 मई 2023 काउंसलिंग के दौरान विज्ञापन के नियम का पालन करते हुए मैंने अपना पूरा प्रमाण पत्र लगाया जैसे मैट्रिक का प्रमाण पत्र और मार्कशीट, आधार कार्ड, फोटो, जाति प्रमाण पत्र (अनुमंडल स्तर) आवसीय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र लगाया। विज्ञापन में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि जाति प्रमाण पत्र अनुमंडल स्तरीय क्रिमिलेयर प्रमाण पत्र लगाना है, जिसके कारण मैंने नहीं लगाया था। जिसके वाबजूद भी मेरा प्रखंड तकनीकी प्रबंधक पद के लिए अस्वीकृत कर दिया गया जो नियमानुसार गलत है। अतः श्री मान से निवेदन है कि विज्ञापन के अनुसार उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए मुझे प्रखंड तकनीकी प्रबंधक पद के लिए स्वीकृत करने की कृपा की जाय।</p>	<p>आवेदन के समय अनुमंडल स्तर का अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि का क्रिमिलेयर रहित जाति प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं किये जाने के कारण किये गये दावे/आपत्ति को अस्वीकृत किया जाता है।</p>	


आवेदन सं०	नाम	पिता/पति का नाम	मोबाईल सं०	किये गये दावे / आपत्ति	निराकरण	अभियुक्ति
11	मुन्नी कुमारी	विश्वनाथ राम	7759952488 9279032553	सहायक तकनीकी प्रबंधक के रिक्त पद पर सविदा आधारित नियोजन प्रक्रिया के तहत तैयार की गई ड्राफ्ट मैरिट लिस्ट स्थापना प्रशाखा, समस्तीपुर के जॉचोपरांत दिनांक 27.11.2023 को चयन समिति के द्वारा अनुमोदित किया गया है। जिसमें मेरा चयन आरक्षित कोटि (अनु०जाति) के स्थान पर सामान्य महिला कोटि में किया गया है। अनुमंडल स्तर जाति प्रमाण पत्र इस आवेदन के साथ संलग्न कर रही हू। अतः मुझे आरक्षित कोटि (अनु०जाति) में सम्मिलित करने की कृपा की जाय।	आवेदन के समय अनुमंडल स्तर का अनुसूचित जाति कोटि का जाति प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं किये जाने के कारण किये गये दावे/आपत्ति को अस्वीकृत किया जाता है।	


15/12/23
सहायक निदेशक,
उद्यान, सदस्य, चयन
समिति, समस्तीपुर



जिला मत्स्य पदाधिकारी,
सदस्य, चयन समिति,
समस्तीपुर।


जिला पशुपालन पदाधिकारी,
सदस्य चयन समिति,
समस्तीपुर।

जिला कृषि पदाधिकारी, सदस्य चयन समिति,
समस्तीपुर



15/12/23

परियोजना निदेशक, आल्मा-सह- सदस्य सचिव,
चयन समिति, समस्तीपुर



श्री शशिकांत पासवान,
अपर समाहर्ता (शि.निवा.), सदस्य चयन
समिति, समस्तीपुर

उप विकास आयुक्त,
उपाध्यक्ष, चयन समिति, समस्तीपुर


जिला पदाधिकारी,
अध्यक्ष, चयन समिति, समस्तीपुर